

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या—56 / 2015

जिला—जयपुर

उनवान : मैसर्स इण्डियन स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायब आयुक्त व1त-जी, जयपुर जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी, प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	----------------------------------	--

18.06.2015

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मदन लाल, सदस्य

अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक व विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

यह विविध प्रार्थना पत्र अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 363/2015/जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.03.2015 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त आदेश से प्रकरण में बकाया वसूली योग्य राशियों पर स्थगन इस शर्त पर प्रदान किया गया था कि अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के उनके सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत प्रस्तुत करेगा और अपीलीय प्राधिकारी आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि माननीय खण्डपीठ के आदेश दिनांक 24.03.2015 की अनुपालना में आवश्यक एवं समुचित जमानत(necessary security bond) कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है, किन्तु आज दिनांक तक उक्त अपील निस्तारण हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है। अतः उन्होंने उक्त प्रकरण में दिये गये स्थगन आदेश को, अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त अपील के अन्तिम निर्णय पारित करने तक, अवधि बढ़ाने का निवेदन किया।

विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त विविध प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रकरण में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किये गये निवेदन पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी।

उभय पक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ अनुभव करती है कि अपील संख्या 363/2015/जयपुर में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.03.2015 में दिये गये स्थगन की अवधि 31.08.2015 तक बढ़ायी जाती है तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 31.08.2015 तक उक्त अपील का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।
18.06.2015
(मदन लाल)
सदस्य

2
(सुनील शर्मा)
सदस्य